छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 399/2007</u>

श्री टी. के. घोषाल,
डी–8, सेक्टर–4, देवेन्द्र नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय आयुक्त,
नगर पालिक निगम, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::

(दिनांक 14 अगस्त 2007)

श्री टी. के. घोषाल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23–01–2007 के पालन नहीं होने से असंतुष्ट होकर छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायपुर से अपने आवेदन पत्र दिनांक 18–09–2006 के द्वारा 07 बिन्दुओं पर मकान नंबर डी–7, सेक्टर–4, देवेन्द्र नगर के संबंध में जानकारी चाही थी, जिसमें नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र, आधिपत्य संबंधी प्रमाण–पत्र, नाम परिवर्तन हेतु दी गई फीस तथा उक्त भवन के निर्माण क्षेत्रफल आदि के संबंध में प्रमाणित प्रतियाँ में जानकारी माँगी है। अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी प्राप्त न होने पर उसके द्वारा प्रथम अपील आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को प्रस्तुत की। आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा दिनांक 23–01–2007 को आदेश पारित कर एक माह के भीतर जानकारी देने के लिये आदेश पारित किया गया। इस आदेश के पश्चात् भी पूर्ण जानकारी नहीं दी गई।

3/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी तथा प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायपुर को नोटिस जारी किये गये। विलम्ब से एवं अपूर्ण जानकारी देने के लिये जन सूचना अधिकारी को 15,000/– रुपये का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया। अपील एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिया गया। अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा माँगी गई जानकारी निर्धारित अवधि में पूर्ण रूप से प्रदान नहीं की गई, अतः प्रतिअपीलार्थी पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में अपीलार्थी को दिनांक 04–10–2006 को सूचित किया

गया कि भवन क्रमांक डी–7, सेक्टर–4, देवेन्द्र नगर, रायपुर से संबंधित भूमि रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर की है, अतः नाम परिवर्तन के कार्यवाही की जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण से ही प्राप्त की जा सकती है, फिर भी पत्र दिनांक 20–10–2006 से पुनः आवेदक को सूचित किया गया कि नगर पालिक निगम, रायपुर में नामांतरण संबंधी कोई आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, नाम परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की गई, नामांतरण हेतु कोई फीस नहीं ली गई, नाम परिवर्तन का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण कोई नोटशीट तैयार नहीं की गई, अतः उक्त अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि नगर पालिक निगम, रायपुर से दी जाना संभव नहीं है। स्थल निरीक्षण की सत्यापित प्रतिलिपि के संबंध में नोटशीट की छायाप्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही की प्रतिलिपियाँ जिसमें कि संबंधित भूमि स्वामी प्रताप सिंह को नोटिस की प्रति भी सम्मिलित है की प्रतिलिपियाँ प्रदान की गई। अपीलार्थी को भवन निर्माण से संबंधित सेट–बैक, निर्मित क्षेत्रफल आदि से संबंधित माँगी गई 08 बिन्दुओं की जानकारी पत्र दिनांक 13–10–2006 के द्वारा प्रदान की गई। इसके साथ ही भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण–पत्र नगर पालिक निगम के द्वारा जारी नहीं किये जाने की सूचना भी आवेदक को 08–11–2006 को दी गई। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि उसके द्वारा पूर्ण जानकारी अपीलार्थी को समय–समय पर प्रदान कर दी गई है, किन्तु अपीलार्थी जानबूझकर अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण नगर पालिक निगम को अनावश्यक पार्टी बनाकर परेशान कर रहा है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक–1 से 4 तक की जानकारी दे दी गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि नामांतरण से संबंधित कोई भी अभिलेख नगर पालिक निगम, रायपुर में उपलब्ध नहीं है, अतः संबंधित नामांतरण संबंधी अभिलेखों की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। स्थल निरीक्षण की प्रति भी अपीलार्थी को दिनांक 08–11–2006 को प्रदान की गई। इसी प्रकार स्थल निरीक्षण के आधार पर दिये गये नोटिसों की प्रति अपीलार्थी को दी गई। स्थल निरीक्षण पूर्व में नहीं कराया गया था अतः नगर पालिक निगम द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थल निरीक्षण कराकर की गई कार्यवाही की प्रति आवेदक को दी। चूँकि नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा भूमि–स्वामी द्वारा भवन पूर्णता प्रमाण–पत्र न माँगने के कारण निर्मित भवन का पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं अधिभोग प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया। प्रथम तल एवं वर्तमान स्थल पर हुये निर्मित क्षेत्र के क्षेत्रफल का नक्शा तैयार करके अपीलार्थी को दिया गया। अपीलार्थी के आवेदन–पत्र के बिन्दु क्रमांक–5, 6 एवं 7 की जानकारी निःशुल्क अपीलार्थी को दी गई।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन–पत्र के संदर्भ में प्रत्येक बिन्दु की जानकारी प्राप्त हुई है। जो अभिलेख नगर पालिक निगम, रायपुर में उपलब्ध नहीं है उसके उपलब्ध न होने की सूचना भी अपीलार्थी को दी गई । अपीलार्थी का किन्हीं कारणवश भू–खण्ड क्रमांक डी–7, सेक्टर–4, देवेन्द्र नगर, रायपुर से निर्माण कार्य के संबंध में विरोध है, अतः अपीलार्थी उस संबंध में बार–बार जानकारी चाह रहा है। अपीलार्थी को नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बिन्दुवार जानकारी दी जा चुकी है। यह अवश्य है कि उक्त जानकारी विलम्ब से दी गई है, क्योंकि अभिलेख नगर पालिक निगम, रायपुर में

उपलब्ध नहीं थे, अतः स्थल निरीक्षण कराकर भवन के सेट–बैक आदि की जानकारी तैयार की गई। इससे स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं देने का कृत्य नहीं किया है। अतः प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायपुर पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः जन सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है । अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी के द्वारा यद्यपि सभी बिन्दुओं पर जानकारी दी जा चुकी है, किन्तु यह जानकारी विलंब से दी गई है तथा अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर निगम ने अनेक बार जाना पड़ा है इससे अपीलार्थी को आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई है । अतः अपीलार्थी को इस आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम की ओर से राशि 500/– रूपये की क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश दिया जाता है ।

5/ उपरोक्त निर्देश के साथ आंशिक रूप से अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त